(b) As per the information furnished by NAFED a total expenditure of Rs. 1.61 crores was involved for the import of onions so far.

Attracting investment for upgrading facilities in foodgrains storage

650. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state;

(a) whether it is a fact that Government propose to adopt a policy to attract investment from domestic and foreign companies in upgrading facilities for storage and handling of foodgrains; and

(b) if so, the salient features of the policy?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYA PAL SINGH YADAV): (a) and (b) A steering Committee was constituted by the Government in the Deptt. of Food & Civil Supplies, M/o Food & Consumer Affairs to examine the question of upgradation of technology particularly for bulk storage and bulk handling and transportation of foodgrains in India. The Committee has since submitted its report. The recommendations given by the Committe are under consideration of a Task Force set up for purpose.

Meeting of the Central Committee for Food Standard

651. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the meetings of the Central Committee for Food Standards constituted under the Act, are held regularly;

(b) what are the observations of the Committee regarding deficiencies in enforcement; and

(c) the proposed in this regard, if any?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYA PAL SINGH YADAV): (a) Yes Sir.

The Central Committee for Food Standards has observed on many occasions the deficiencies in enforcement of the P.F.A. Act both at Centre and State level and suggested strengthening the infrastructure for effective implementation of the P.F.A. Act, 1954.

(c) (i) The Central Assistance is being given to States/UTs to strengthen their food testing labs. With equipments under a Centrally sponsored Scheme since 1990-91.

(ii) Equipments are also being supplied out of W.H.O. funds to State Food Labs.

(iii) The proposal to strengthen PFA Division in Directorate General of Health Services in the Ministry of Health & Family Welfare with fulfledged secretariat of C.C.F.S. has been processed.

(iv) Under the Public Health Capacity Building Project for seeking World Bank assistance a proposal for strengthening of PFA Infrastructure both at Central and State levels is being formulated.

(v) Orientation training to Food Inspectors, Public Analysts, Senior level officers and consumer Organisation organised from time to time.

एक आवश्यक वस्तु के तौर पर चाय

652. **श्री रामजीलाल:** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 अगस्त, 1998 के "नवभारत टाइम्स" में चाय को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने की सिफारिश शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में 90 प्रतिशत से अधिक लोग चाय का प्रयोग करते हैं और इस आधार पर इसे आवश्यक वस्तुओं की सूची में डाला गया था; और

(घ) सरकार आम आदमी द्वारा प्रयोग की जाने वाली चाय की कीमतों पर किस प्रकार नियंत्रण करेगी?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) वाणिज्य मंत्रालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आवश्यक वस्तुओं की सूची में से चाय को हटा दिए जाने का सुझाव दिया है। इस संबंध में सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

सरसों के तेल की कालाबाजारी

653. **श्री रमा शंकर कौशिश:**
प्रो. रामगोपाल यादव:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जब पिछले अगस्त में दिल्ली में सरसों के मिलावटी तेल से हुए प्रतिकूल प्रभाव के कारण सरकार द्वारा सरसों के तेल की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से अनिश्चितकाल के लिए प्रतिबन्ध लगा दिया गया और परिणामस्वरूप काफी ऊंचे दामों पर सरसों के तेल की कालाबाजारी होने लगी और यह आम जनता की पहुंच से बाहर हो गया क्या सरकार ने बाजार में सरसों का तेल आसानी से उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो आम आदमी को यह किस दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है; और

(ग) क्या सरसों के तेल की जमाखोरी करने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) बाजार में सुरक्षित सरसों के तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के क्रम में सरकार ने उचित गुणवत्ता जांच के पश्चात सरसों का तेल बेचने की अनुमति दे दी है।

(ख) सामान्यतया, ब्राण्डेड सरसों का तेल 75/- रु. प्रति लीटर (बोतल में) की दर से उपलब्ध है। बड़ी क्षमता वाले पैकों की कीमतें अपेक्षाकृत कम है।

(ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत राज्य सरकारों को यथोचित कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

खुले सरसों के तेल की बिक्री पर प्रतिबंध

654. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री कपिल सिब्बल:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खुले सरसों के तेल की खुदरा बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरसों के तेल में मिलावट संबंधी मामले की जांच पूरी होने के बाद ही उक्त प्रतिबन्ध को समाप्त किये जाने का निश्चय किया गया है;

(ग) यदि हां, तो जांच कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) क्या प्रतिबन्ध लगाने के बाद, सरसों के तेल की कीमत प्रतिबन्ध के पूर्व विद्यमान कीमत की तुलना में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इस मूल्य वृद्धि के क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) सरसों के तेल में मिलावट और ड्राप्सी मामलों को देखते हुए बहुत से राज्य सरकारों ने खुले सरसों के तेल की बिक्री पर पाबंदी लगाई।

(ख) और (ग) उचित गुणवत्ता की जांच के पश्चात सरसों के तेल की बिक्री पर लगी पाबंदी हटा ली गई है।

(घ) जी, नहीं।

Disposal of cases by consumer courts

655. SARDAR BALWINDER SINGH BHUNDAR: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of consumer courts in country and the details of cases disposed of during the last three years, State-wise;

(b) the average time taken for disposal of a case, the number of cases posted every day and number disposed of, State-wise; and

(c) the number of cases pending in these courts against the total number of cases filed State-wise?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (c) 32 State Commissions, 543 district fora besides the National Commission at New Delhi have been set up in the country for redressal of consumer grievances. The State-wise details of the State Commissions and district fora is given in the Statement-I. (*See* below)

In view of diversity of the nature of cases and the volume of work involved in State commissions and district fora, no precise estimation is possible regarding average time taken for disposal of a case. However, from the information available with the Government